भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1195
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

भारत में आत्महत्या दर

1195. श्री देरेक ओब्राईन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में भारत में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आत्महत्या के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में आत्महत्या के मामलों का लिंग-वार, व्यवसाय-वार और आयु-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के कारणों का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंभी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने आत्महत्या रोकथाम के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आत्महत्याओं के कारण होने वाली मौतों से संबंधित सूचना का संकलन एवं प्रकाशन अपने प्रकाशन "भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं" में करता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 तक उपलब्ध हैं। 2019-2023 के दौरान देश में कुल आत्महत्याओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण, व्यवसाय-वार और लिंग-वार वितरण तथा आयु-वार और लिंग-वार वितरण एनसीआरबी की वेबसाइट (http://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1195, दिनांक 10/12/2025

(घ) और (ङ): मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में, अन्य बातों के अलावा, बाह्य रोगी सेवाएँ, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाइयाँ, आउटरीच सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ आदि शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई है।

सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 27.11.2025 तक, 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। टेली-मानस सेवाएँ राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर 29,82,000 से अधिक कॉलों का समाधान किया जा चुका है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक, सभी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा ऑडियो कॉलिंग सेवा के उन्नयन के रूप में, टेली-मानस के अंतर्गत एक वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की गई है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1195, दिनांक 10/12/2025

देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेज़पुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची। सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।

सरकार ने नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति भी जारी की है। यह रणनीति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (https://mohfw.gov.in/sites/default/files/National%20 Suicide%20Prevention%20Strategy.pdf) पर उपलब्ध है।

*****